

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी - अक्षत कुमार सिंह (आई.ए.एस.)

दायर दिनांक

14.05.2025

उनवान

निर्णय दिनांक

21.05.2025

प्रकरण संख्या  
287/2025

1. श्री रतनलाल आत्मज मांगु हरिजन निवासी बडलियास तहसील कोटडी नवीन तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा।

बनाम

-- प्रार्थी

1. संदीप आत्मज बालु पोरवाल, निवासी बडलियास तहसील कोटडी नवीन तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा।
2. श्री शम्भु आत्मज जेता रेगर, निवासी बडलियास तहसील कोटडी नवीन तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा।
3. शंकर आत्मज जेता रेगर, निवासी बडलियास तहसील कोटडी नवीन तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा।
4. शंकर नाथ आत्मज हजारी नाथ, निवासी बडलियास तहसील कोटडी नवीन तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा।
5. श्यामनाथ आत्मज हजारी नाथ, निवासी बडलियास तहसील कोटडी नवीन तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा।
6. राजु नाथ आत्मज मांगीनाथ, निवासी बडलियास तहसील कोटडी नवीन तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कोटडी/नायब तहसीलदार, बडलियास (राज)।

-- विपक्षीगण

उपस्थित:-

1. अधिवक्ता प्रार्थी श्री गोपाललाल बलाई उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 06 उपस्थित नहीं

-: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :-

--: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने विपक्षीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बडलियास पटवार हल्का बडलियास, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बडलियास तहसील कोटडी जिला भीलवाडा की आराजी संख्या 3570/17 रकबा 1.0803 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है।

उक्त कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और विपक्षीगण के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण उक्त वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाडा

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 06 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निरस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मागला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपना आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। मैंने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वारते आदेश हेतु नियत किया गया।

मैंने पत्रावली में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी उक्त आराजियात का खातेदार काश्तकार होकर इन्हे अपनी आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

अतः नायब तहसीलदार बडलियास को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम बडलियास पटवार हल्का बडलियास, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बडलियास तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा की आराजी संख्या 3570/17 रकबा 1.0803 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु नायब तहसीलदार बडलियास को 1000-00 अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। नायब तहसीलदार बडलियास को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 21.08-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षत कुमार सिंह)

**उपखण्ड अधिकारी**  
**भीलवाड़ा**